राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांकःएफ. 2 (3)लागत/ 1034/670 दिनांक– 22/3/12

परिपत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में आया है कि खूली/मोहरबन्द नीलामी द्वारा प्रस्तावित नीलामी प्रकरणों में पूर्व में जारी परिपत्र सं. PSHC/ RHB/ 2009/ 122 दिनांक 28.10.09, एफ. 2 (3)लागत/ 1034/ 698 दिनांक 28.03.2011, एफ 2 (3) लागत/1034/ 452 दिनांक 1.12.2011 व एफ. 2 (3) लागत/ 1034/ 611 दिनांक 23.02.2012 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि उक्त जारी परिपत्रों में दिये गये निर्देशों की पालना के साथ–साथ भविष्य में सम्पत्ति नीलामी करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निम्न सूचनायें भी प्रस्तुत की जायें–

1. नीलामी हेतु प्रस्तावित प्रत्येक सम्पत्ति का पूर्ण विवरण यथा योजना का नाम/लोकेशन, साईज, क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल प्रति वर्गमीटर/गज इत्यादि।

2. नीलामी हेतु प्रस्तावित प्रत्येक सम्पत्ति का न्यूनतम विक्रय मूल्य तथा न्यूनतम विक्रय मूल्य अनुसार प्रस्तावित सम्पत्तियों का कुल मूल्य।

3. व्यावसायिक सम्पत्तियों के प्रस्तावों में वर्तमान में बाजार की स्थिति एवं न्यूनतम विक्रय मूल्य पर प्रस्तावित सम्पत्ति की नीलामी की संभावना का आंकलन।

4. निर्मित सम्पत्ति के प्रस्तावों में सम्पत्ति का निर्माण पूर्ण होने की तिथि, पूर्व में आवंटित/नीलाम हेतु कब–कब विज्ञापित की गई व उसके क्या परिणाम रहें?

5. यदि प्रस्तावित सम्पत्ति की पूर्व में नीलामी अस्वीकृत की गई है तो नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली तथा बोली अस्वीकृत करने के कारण।

6. (i) यदि आवासों की नीलामी प्रस्तावित है तो इसका कारण।
   (ii) क्या पंजीकृत आवेदक उपलब्ध नहीं है?
   (iii) यदि हां तो प्रस्तावित आवासों को लॉटरी द्वारा पंजीकृत आवेदकों को आवंटित क्यों नहीं कर सकते?
   (iv) यदि पंजीकृत आवेदक उपलब्ध नहीं है तो क्या नये पंजीकरण नहीं खोले जा सकतें?

नीलामी की स्वीकृति के प्रत्येक प्रकरण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की टिप्पणी सहित उपरोक्त सभी सूचनाओं व प्रक्रिया की पालना करते हुए प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि–सूचनार्थ/पालनार्थ–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निदेशक, विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पीएण्डएम, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत/खण्ड ....
6. समस्त आवासीय अभियन्ता, राजस्थान अवासन मण्डल, खण्ड ....
7. जनसम्पर्क अधिकारी/एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।

कृपया Mail करें एवं वेबसाइट पर डालें।

वित्तीय सलाहकार